उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या–183 /XX–4/2021–1(21)/2019
देहरादून : दिनांक 9 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 की उपधारा (1) सपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–428/बीस–4/2017–1(17)/2009 टी0सी0, दिनांक 21–06–2017 व अन्य पूर्व नीतियों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य अवस्थित न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों, चाहे वे उत्तराखण्ड राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य की कारागार में निरूद्ध हो, को गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी) के सुअवसर पर शेष सजा का परिहार प्रदान कर सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थायी नीति बनाते है :–

उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति हेतु) स्थायी नीति, 2021

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(1) इसका नाम उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति हेतु) स्थायी नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

(3) इसका विस्तार उत्तराखण्ड राज्य अवस्थित न्यायालयों द्वारा दण्डित सिद्धदोष बन्दियों, चाहें वह उत्तराखण्ड राज्य अथवा उत्तराखण्ड से बाहर अन्य राज्य की कारागारों में निरूद्ध हो, पर होगा।

(4) यह नीति उत्तराखण्ड के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, सिद्धदोष बन्दियों पर लागू होगी, चाहे वे उत्तराखण्ड राज्य के भीतर या राज्य के बाहर की न्यायिक अभिरक्षा के अधीन राज्य के बाहर परिरूद्ध हो, किन्तु यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :–

(क) ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं है, सिद्धदोष बन्दियों पर,

(ख) ऐसे सिद्धदोष बन्दियों पर, जिनके विरूद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक मामला लम्बित हो,

(ग) ऐसे बन्दियों पर, जो ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष है, जिनके लिए सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति किसी विधि में अनुमन्य नहीं है,

(घ) ऐसे बन्दियों पर, जिनकों मा0 न्यायालय द्वारा जीवनपर्यन्त कारागार में निरूद्ध रखे जाने के आदेश दिये गये हैं।

परिभाषाएं 2 जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नीति में :–

(क) 'मुख्यमंत्री' से उत्तराखण्ड सरकार के मुख्यमंत्री अभिप्रेत है,

(ख) 'समिति' से उत्तराखण्ड शासन के गृह विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति अभिप्रेत है।

(ग) 'महानिरीक्षक कारागार' से कारागार विभाग के विभागाध्यक्ष महानिरीक्षक कारागार अभिप्रेत है।

(घ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(ड.) 'वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक' से सम्बन्धित कारागार के प्रभारी वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक अभिप्रेत है।

सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/ समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु समिति का गठन

3 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत आजीवन कारावासित सिद्धदोष बन्दियों को गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी) के सुअवसर पर समयपूर्व मुक्ति/सजामाफी अथवा सजा में अन्य प्रकार की कटौती हेतु सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजनों द्वारा प्रस्तुत दया याचिकाओं के निस्तारण हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है :–

1–प्रमुख सचिव/सचिव, गृह (कारागार), उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2–प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी अथवा उनके द्वारा नमित कोई अपर सचिव, न्याय/अपर विधि परामर्शी	सदस्य
3–प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग द्वारा नामित कोई अन्य सचिव	सदस्य
4–अपर सचिव, गृह (कारागार), उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5–महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य सचिव

सजामाफी/ समयपूर्व मुक्ति हेतु विचारणीय पात्रता

4 (क) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त महिला सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं हैं तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 14 वर्ष की अपरिहार तथा 16 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

(ख) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सभी पुरूष सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

(ग) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे सिद्धदोष बंदी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं तथा जो निम्न में से किसी बीमारी से ग्रसित हों एवं जिनके संबंध में उत्तराखण्ड जेल मैनुअल के प्रस्तर संख्या–195 में प्रावधानित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त बीमारी से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो और जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो:–

1. Advanced bilateral pulmonary tuberculosis
2. Incurable malignancy
3. Incurable Blood diseases
4. Congestive heart failure
5. Chronic epilepsy with mental degeneration
6. Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer
7. Total blindness of both eyes
8. Incurable paraplegias and hemiplegics
9. Advanced Parkinsonism
10. Brain Tumor
11. Incurable Aneurysms
12. Irreversible Kidney failure

(घ) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं है, उनके द्वारा 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 12 वर्ष की अपरिहार तथा 14 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है।

(ड.) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में इंगित किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं है, उनके द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है।

(च) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी के प्रस्तर xiii में वर्णित अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नही है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार तथा 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

प्रतिबन्धित श्रेणी

5 (i) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है।

(ii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे उत्तराखण्ड राज्य के बाहर स्थित न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो।

(iii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से जीवन–पर्यन्त कारागार में निरूद्धि हेतु आदेशित किया है अथवा आजीवन कारावास से दण्डित समस्त ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिनके निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट समय निर्धारित कर निरूद्धि हेतु आदेशित किया गया है।

(iv) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके वाद का अन्वेषण, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा या दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का सं 2) से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिये सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया था।

(v) ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्हें ऐसे अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया गया है जिनमें से कुछ उन विषयों से सम्बन्धित हैं जिन पर संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे साथ–साथ भोगे जाने वाली पृथक–पृथक अवधि के कारावास का दण्डादेश दिया गया है, उसके सम्बन्ध में दण्डादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश तभी प्रभावी होगा जब किये गये अपराधों के सम्बन्ध में ऐसे दण्डादेशों के, यथास्थिति, परिहार, निलंबन या लघुकरण का आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कर दिया गया है।

(vi) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हें सामूहिक नरसंहार (तीन या तीन से अधिक हत्याएं) की घटनाओं से सम्बन्धित अपराधों में दोषसिद्ध किया गया हो।

(vii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो निरूद्धि की अवधि में विगत 02 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के प्रस्तर–814 के अन्तर्गत चेतावनी से भिन्न किसी भी लघु दण्ड से और विगत 05 वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के प्रस्तर–815 के अन्तर्गत किसी भी वृहद दण्ड से कारागार प्रशासन द्वारा दण्डित किए गये हों।

(viii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिन्हें दण्डादेश निलम्बन/पैरोल/गृह अवकाश के दौरान किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।

(ix) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्होने निरूद्धि अवधि के दौरान जेल से पलायन किया हो।

(x) ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्हें एक से अधिक अपराधिक प्रकरणों में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

(xi) ऐसे सिद्धदोष बंदी जो भारतीय नागरिक नही हैं।

(xii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे निम्न अधिनियमों के तहत दोषसिद्ध किया गया हो :–

–नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985

–आतंकवादी और विध्वंशकारी क्रियाकलाप अधिनियम 1997

–आतंकवादी गतिविधि प्रतिषेध अधिनियम, 2002

–स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं0 61)

–स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का सं0 42)

–सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का सं0 52)

–शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923

–विदेशियों विषयक अधिनियम 1946

–विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974

–लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012(POCSO ACT 2012)

(xiii) ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा 363ए (भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये अप्राप्तवय का व्यपहण या विकलांगीकरण), 364 (हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण), 364 ए (मुक्ति–धन आदि के लिए व्यपहरण), 366 (विवाह आदि के करने को विवश करने के लिये किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्पेरित करना), 366 ए (अप्राप्तवय लड़की का उपापन), 366बी (विदेश से लड़की का आयात करना), 367 (व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण), 368 (व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना), 369 (दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण), 372 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय को बेचना), 373 (वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय का खरीदना) एवं 376 (बलात्संघ के लिये दण्ड) के अन्तर्गत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये गये हों।

(xiv) पेशेवर हत्यारे जो भाड़े पर हत्या करने के दोषी पाये गये हों।

(xv) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 से 130 के अन्तर्गत राज्य के खिलाफ युद्ध करने या युद्ध का प्रयास करने या दुष्प्रेरण करने के दोषी पाये गये हों।

(xvi) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो सरकारी सेवक की कर्तव्य पालन के दौरान उसकी हत्या के दोषी हों।

प्रकिया 6 (क) समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बंदियों की उपरोक्त प्रस्तर के अन्तर्गत निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण करेंगें एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई पात्र व्यक्ति छूटा नही है तथा पात्र समस्त बन्दियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में उनकी समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड को प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगें।

(ख) बंदियों की आयु एवं सजा की गणना आगामी वर्ष की 26 जनवरी के अनुसार की जायेगी।

(ग) महानिरीक्षक कारागार द्वारा बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का उपरोक्त नीति के आलोक में परीक्षण करते हुये प्रस्ताव शासन को प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 नवंबर तक प्रेषित कर दिया जायेगा।

(घ) शासन स्तर पर बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त समिति बन्दियों के सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के प्रकरणों पर विचार–विमर्श करेगी।

(ड.) बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के प्रकरणों पर विचारोपरान्त् समिति अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को अग्रसासित करेगी।

(च) सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जायेगा।

सजामाफी पर बन्दियों को कारागार से रिहा किया जाना

7 राज्यपाल के अनुमोदन/आदेशोपरान्त् आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदियों को इस शर्त पर कारागार से मुक्त किया जायेगा कि वह विधि सम्मत आचरण बनाये रखने के लिये रूपया 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) से अंनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपनी मुक्ति से पूर्व संबंधित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

गलत रिहा किये गये बन्दियों को पुनः निरूद्ध किया जाना

8 उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत यदि त्रुटिवश कोई ऐसा बंदी रिहा हो जाता है, जिसका अपराध राज्य सरकार की दृष्टि में ऐसी श्रेणी का है, जिसके लिये न्यायालय द्वारा दी गयी सजा उसे पूर्ण रूप से भुगतना चाहिये, तो शासन ऐसे बंदी की सजा में दी गयी छूट निरस्त कर शेष सजा भुगतने के लिये उसे पुनः कारागार में निरूद्ध कर सकेगा।

(नितेश कुमार झा)
सचिव